

भाग— II
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)
प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7 परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुँआ के अन्तर्गत हल्द्वानी विकास खण्ड में चोरगलिया स्थित नहर प्रणाली हेतु नन्धौर नदी पर ट्रैच वियर व तत्सम्बन्धित कार्यों का निर्माण।

- | | | | |
|-------|---|---|--|
| i) | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | — | उत्तराखण्ड |
| ii) | जिला | — | नैनीताल |
| iii) | वन प्रभाग | — | हल्द्वानी वन प्रभाग |
| iv) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) | — | 0.735 है0 (आरक्षित भूमि) |
| v) | वन की कानूनी स्थिति | — | आरक्षित |
| vi) | हरियाली का घनत्व | — | 0.00—0.10 |
| vii) | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 — 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए | — | शून्य। |
| viii) | भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। | — | भू-वैज्ञानिक की निरीक्षण आख्या संलग्न है। |
| ix) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी | — | उक्त प्रस्तावित क्षेत्र "नन्धौर वन्य जीव अभ्यारण्य" के अन्तर्गत आता है। |
| x) | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबन्धित की जाए) | — | सम्पूर्ण वन प्रभाग "शिवालिक हाथी रिजर्व" का हिस्सा है। प्रस्तावित क्षेत्र "नन्धौर वन्य जीव अभ्यारण्य" के अन्तर्गत आता है। |
| xi) | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। | — | शिवालिक जैवा विविधता क्षेत्र जो यमुना नदी से शारदा नदी तक विस्तृत है में पायी जाने वाली दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ इस क्षेत्र में पायी जाती हैं मुख्य प्रजातियाँ निम्न हैं— गुलदार/ तेंदुआ (पेंथरा पार्डस), जंगली बिल्ली/वन विलाव (बिरुला फेलिस), भालू (मेलूसर्स डर्सिनस), बिज्जू (मेलीबोरा कंपासन्स), काकड़ (मुन्टिआकस मुन्टगांक), साही (डिक्टिक्स इण्डिका), हाथी (इलफस मैक्सीमस), बटेर (कोटर निक्स), हरियल (ट्रेरोन फोइनो कारटेस), गिद्ध (जिरस बैंगोलेसिस), गिद्ध (जिप्स फल्क्स फरन्बोरेन्स) "उल्लेखित विवरण प्रभाग के वर्तमान कार्ययोजना से लिया गया है। |

- xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या - नहीं
- 8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। - प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वांछित सूचना प्रपत्र-10 में दी गई है।
- 9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चाह रहे हैं। - नहीं
- 10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:- -
- I. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। - 1.00 है0 से कम होने के कारण लागू नहीं है।
- II. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। -
- III. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि। -
- IV. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। -
- V. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम-प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)। -

11. उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) - उक्त क्षेत्र नन्धौर राजि के नन्धौर नदी में है। उक्त क्षेत्र "नन्धौर वन्य जीव अभ्यारण्य" के अन्तर्गत आता है। उक्त कार्य हेतु मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक सं० 803/मु०अ०सि०/बजट/बी-1 (शासनादेश) दिनांक 02.03.2015 के द्वारा स्वीकृत हुआ है। वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव याचक विभाग की आवश्यकता के अनुरूप है एवं प्रस्ताव में किसी प्रकार का वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।
12. प्रभाग/जिला प्रोफाइल
i. जिला का भौगोलिक क्षेत्र (जिला नैनीताल) - 4251.00 वर्ग कि०मी०
ii. जिला/प्रभाग का वन क्षेत्र। - हल्द्वानी वन प्रभाग का क्षेत्र 02 जनपदों पर पड़ता है।
1- जनपद नैनीताल- 47808.62 है०
2- जनपद चम्पावत- 15651.38 है०
कुल योग- 63460.00 है०
- iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। - 30 मामलों व 367.184 है०
- iv. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण
(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि -
(ख) वनेत्तर भूमि पर - 90.972 है० व 2 रो० कि०मी० इस वन प्रभाग में प्रतिपूरक वनीकरण किया गया है।
- V प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति
- (क) वन भूमि पर - 90.972 है० व 2 रो० कि०मी०
(ख) वनेत्तर भूमि पर -
- 13 प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। - भारत सरकार एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन की पत्र संख्या F.No.6-82/2017 WL Date 25-05-2018 के क्रम में संस्तुति की जाती है।

दिनांक...18.06-2018

स्थान...हल्द्वानी

हस्ताक्षर

नाम -

(डा० सी० एस० सनवाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
सरकारी मोहर हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी.